राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/26/वीएस/डीईएस/पेनल्टी/2005/1320 दिनांकः 28/12/2021

परिपत्र–I

विषयः– जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत शास्तियॉं।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रारों को उनके अधिकारिता क्षेत्र मे होने वाली जन्म या मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है तथा इस अधिनियम की धारा 8 व 9 के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों, चिकित्सा संस्थान (राजकीय/निजी), जिला छात्रावास/धर्मशाला आदि के भारसाधक अधिकारी/सूचनादाता को जन्म–मृत्यु पंजीयन के लिए निर्धारित अवधि में सूचना रजिस्ट्रार को देने के लिए उत्तरदायी बनाया हुआ है।

इस अधिनियम में रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण करने में असफल रहने अथवा उपेक्षा/इंकार करने पर तथा उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्ति/भारसाधक अधिकारी/सूचनादाता पर निर्धारित अवधि मे रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को पंजीयन के लिए सूचना देने में असफल रहने पर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 (1) से लेकर 23 (5) तक के अन्तर्गत शास्तियॉं/पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नानुसार हैः–

शास्तियाँः–

23.(1) कोई व्यक्ति जो–

(क) धारा 8 और 9 के किन्हीं उपबंधो के अधीन ऐसी इत्तिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा; अथवा

(ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में लिखे जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इत्तिला देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है, अथवा

(ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास–स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ चिन्ह लगाने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या उससे इन्कार युक्तियुक्त कारण के बिना करेगा वह जुर्माने से जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) कोई चिकित्सा व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाण पत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाण पत्र परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध का, युक्तियुक्त कारण के बिना उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, वह जुर्माने से जो दस रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जाएगा।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार/भारसाधक अधिकारी/सूचनादाता पर निर्धारित अवधि में अपने कर्तव्य पालन में असफल रहने पर शास्तियाँ/पेनल्टी लगाने के लिए मुख्य रजिस्ट्रार/अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

अतः जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार जो जन्म और मृत्यु की घटना का रजिस्ट्रीकरण निर्धारित अवधि में करने में असफल रहते है तथा जन्म और मृत्यु की घटना के रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए उत्तरदायी भारसाधक अधिकारी/सूचनादाता पर निर्धारित अवधि मे सूचना देने में असफल रहने पर शास्तियाँ/पेनल्टी लगाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

28/12/2021

(आर.के.पाण्डे)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/ननिजे/वीएस/डीईएस/2021/1321-28 दिनांकः 28/12/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, महारजिस्ट्रार,एवं जनगणना आयुक्त, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप महारजिस्ट्रार,(सीआरएस) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली–110066।
4. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी झालाना डूंगरी, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर समस्त।
6. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला ....।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।
8. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

28/12/2021

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव